

कार्यालय जिला बाल संरक्षण समिति
(जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक / 598 / आईसीपीएस / म.बा.वि. / 2017-18
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 14/11/2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स रायपुर (छ0ग0)।

विषय :- एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई सरगुजा में सामाजिक कार्यकर्ता के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन

000

लेख है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई सरगुजा में जिला स्तरीय पद सामाजिक कार्यकर्ता (संविदा) भर्ती के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय कार्यालय के लिये संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रसारित किए गये हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2017 निर्धारित की गयी है। प्रसारित विज्ञापन का पीडीएफ फॉर्मेट में सीडी संलग्न है। कृपया इसे छत्तीसगढ़ शासन <http://cgstate.gov.in> तथा महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
अम्बिकापुर, दिनांक 14/11/2017

पृ0क्रमांक / 599 / आईसीपीएस / म.बा.वि. / 2017-18

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय जनसम्पर्क विभाग नया रायपुर छ0ग0 को प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन करने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति जिला-सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय जिला सरगुजा को समस्त दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं सरगुजा के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

कार्यालय जिला बाल संरक्षण समिति
(जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

विज्ञापन

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाईयों में (डीसीपीयू) में सरगुजा जिले में रिक्त पद पर संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 30.11.2017 तक आवेदन आमंत्रित है। पद एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	रिक्त पद का नाम	पद संख्या	श्रेणी	एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह
सरगुजा	सामाजिक कार्यकर्ता	01	अ.ज.जा.	14000 /-

उपरोक्त पद पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आप्र/1-3 दिनांक 4.12.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के अनुसूची 2 में जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए दिये गये मॉडल रोस्टर लागू रहेंगे।

उपरोक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
सामाजिक कार्यकर्ता	समाजशास्त्र/समाज कार्य/मनोविज्ञान या समकक्ष विषय में स्नातक	कम्प्युटर पर एम.एस.आफिस/ वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए	शासकीय /अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाइल्ड लाईन में बच्चों की देखरेख/संरक्षण/पुनर्वास विषय पर कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव।	अंग्रेजी, हिन्दी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान

निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किये जावें -

1. आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-सरगुजा को करना होगा।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2017 है।
3. यह पद अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग/संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. आवेदक की आयु दिनांक 1 सितम्बर 2017 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
5. अस्थायी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।
7. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
8. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
9. अनुभव के संबंध में अस्थायी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्व प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन देने संबंधित जानकारी अपने नियोक्ता को देना होगा।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
12. उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।
13. प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा

आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिए।

14. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपयें का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।
16. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

पदनाम	चयन प्रक्रिया
सामाजिक कार्यकर्ता	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 75 अंक 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे।

17. प्राप्त अंको के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं गान्य होगा।
18. विज्ञापन का विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cg.gov.in अथवा www.cgwcd.gov.in तथा सरगुजा जिले के वेबसाईट www.surguja.nic.in पर देखी जा सकती है।
19. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जायेगी। चुने हुए अभ्यर्थियों को मेल एवं एसएमएस से सूचना दी जायेगी। अतः सही मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावे।
20. आवेदक का आवेदन दिनांक 30.11.2017 को सायं 5.00 बजे तक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग अम्बिकापुर जिला-सरगुजा में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

14. अन्य योग्यता का विवरण :-

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नों की सूची -

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाणपत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नों का विवरण

1.
2.
3.
4.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा - पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान -

दिनांक -